

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, सनुदाबकोड़,
प्रीति विहार, नवीदिल्ली।

शिक्षा (1) अनुभाग

विषय:- सेट थामस स्कूल नौलमन्डर वर्ड चन्दोली को सी0बी0एस0इ0 ई0 नवीदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुवे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी0बी0एस0इ0 नवीदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिवर्षो के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य दोगा।
- (3) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे प्र0प्र0याध्यागिक शिक्षा परिषद्/बोर्ड के विभिन्न कालाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ट्री एजुकेशन नवीदिल्ली/कौटिल आफ दिल्ली इन्डियन स्कूल सटीफिकेट इन्डियनेशन नवीदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से तालिमाध्यागिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान दृढ़ाः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियो का राजकीय सञ्चायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्जन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता वर्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

प्र०सं- 5445(1)/15-7-2006 ताइदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययादी हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संघवत शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली ।
- 4- निरीक्षक, आंतर भारतीय विद्यालय उपप्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सेट थामस स्कूल गौतमनगर वड़ चन्दौली ।
- 6- गार्ड चुक ।

आशा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।